

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान श्री रोडमल पुत्र नाथू द्वारा अपना नाम जो जमाबंदी में दुरुस्त न होना रोडमल पुत्र नाथू दर्ज ही रखा है की रोडमल पुत्र नाथू जाति कलाई करमे हेतु आवेदन प्रेषित किया है सम्बन्ध में अन्य पटवारी जैसे आचार कर्ता, ग्रामपंचायत प्रमाण एवं जमीन की गई जिसमें व्यक्ति का नाम रोडमल है तथा इसकी जांच हेतु मौका पचास की तैयारी किया गया जिसमें भू-उपस्थित जमीन में भी जाची का नाम रोडमल पुत्र नाथू होता ही कलाई अतः ग्राम कमेटी के वर्तमान राजस्व रिपोर्ट में जमाबंदी का नाम रोडमल पुत्र नाथू की रोडमल पुत्र नाथू जाति कलाई किया जाना दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्टिंग व सत्यापन दातावेदा के अनुसार अंकल दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक पटवारी व भू अ. निरी. की रिपोर्ट सत्यापनावेत

शिविर प्रभाषी

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025  
398

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 23/09/2025

क्रमांक/ 123

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अनाद तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्बन्ध 2069-72 के खाता संख्या 963 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	रोडमल पुत्र नाथू जाति मैदवांशी शेख लक्ष्मण	3021	0.3100	रोडमल पुत्र नाथू जाति कलाई शेख लक्ष्मण	3021	0.3100



क्रमांक:- 4878-79      दिनांक:- 23/09/2025

प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद की पालनाथ/ 2. आदेश पत्रावली)

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद, जिला अजमेर

**समीक्षा** पटवारी रिपोर्ट

प्राथमिकी रोडमल पुत्र नाथू द्वारा अपना नाम जो जमाबंदी में सुविपूर्व रोडमल पुत्र नाथू दर्ज हो रखा है की रोडमल कपुज नाथू जाति बलाई करने हेतु सम्बन्ध प्रामाणिकता के सम्बन्ध में अन्याय परामर्श जैसे आचार काई, ग्रामपंचायत प्रमाण पत्र की जांच की गई जिसमें व्यक्ति का नाम रोडमल है तथा इसकी जांच हेतु मौका पंचायत के सचिव के साथ ग्राम समिति में उपस्थित होने में श्री प्राथमिकी का नाम रोडमल पुत्र नाथू होना ही ठीक था तथा ग्राम समिति के अध्यक्ष राजब रियाई के द्वारा संख्या 942 में दर्ज नाम रोडमल पुत्र नाथू के रोडमल पुत्र नाथू जाति बलाई किया जाकर दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

**भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट**

मुलाबिक हल्का पटवारी रिपोर्टिंग व सलोक वतावेला के अनुसार अंकन दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

22/09/2025  
शिविर प्रभाषी

**तहसीलदार की रिपोर्ट**

मुलाबिक पटवारी व भू अ. निरी. की रिपोर्ट प्रामाणिकता के साथ

शिविर प्रभाषी  
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025  
398

**प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"**

दिनांक:- 23/09/2025

क्रमांक / 123

**आदेश**

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सनाद तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्बन्ध 2069-72 के खाता संख्या 963 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	रोडमल पुत्र नाथू जाति मैदवांशी शेष ख 1572	3021	0.3100	रोडमल पुत्र नाथू जाति बलाई शेष ख 1572	3021	0.3100

क्रमांक:- 4878-79 दिनांक:- 23/09/2025

प्रतिकृति:- 1. तहसीलदार नसीराबाद की फाइल में  
2. आदेश प्रकाशनी।

प्रभारी अधिकारी एवं उपसूत्र अधिकारी  
नसीराबाद, जिला अजमेर